

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या :

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद बहराइच में बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अन्तर्गत बहराइच गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 15.000 तक मार्ग के सुदृढीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(2) जिला	बहराइच
(3) वन प्रभाग	बहराइच वन प्रभाग
(4) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	15.330 हे0
(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(6) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	2250 वृक्ष बाधक है, जिसकी सूची संलग्न है
(7) हरियाली का घनत्व	0.2
(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण नगण्य है
(9) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित भूमि की वन सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 20 कि0मी0
(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)।	नहीं
(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हां/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें?	नहीं
(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दें।	नहीं

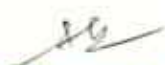
8.	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाचें गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	इस परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं है।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	उत्तर प्रदेश शासन के शर्तों के अनुसार। संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्ताव में संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रस्ताव में संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	1,23,88,000.00
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र के उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	क्षेत्र उपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम-7 (11, 12) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्नक करें	संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5237 वर्ग कि०मी०
	(2) जिले का वन क्षेत्र	672.9115 वर्ग कि०मी० (श्रावस्ती वन प्रभाग, बहराइच वन प्रभाग, कर्तनिद्याघाट वन्य जीव प्रभाग के वन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए)
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	13 मामले, 141.379826 हे०
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	

	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	-
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	908 ब्रिकगार्ड एवं 426.800 हे0 वृक्षारोपण
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	26 ब्रिकगार्ड
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा में लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अतः प्रस्ताव को नियमानुसार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक :- 27-12-2022

स्थान :- Bahraich


क्षेत्रीय वन अधिकारी
 बहराइच रेंज


उप प्रभागीय वन अधिकारी
 बहराइच उप वन प्रभाग


प्रभागीय वन अधिकारी
 बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।